भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1372
गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)

रोजगार अवसरों संबंधी आंकड़े

1372. श्री राघव चड्ढाः
श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017 से अब तक देश के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कुल कितने रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोगों को रोजगार प्रदान किए गए हैं;

(ग) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत कितना-कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की रिपोर्ट के आधार पर, आर्थिक सर्वेक्षण में संगठित और असंगठित क्षेत्र में सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार का अनुमान निम्नानुसार लगाया गया है:

वर्ष	संगठित	असंगठित	योग
2017-18	9.05	38.07	47.13
2018-19	9.46	39.32	48.78
2019-20	9.55	43.99	53.53

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

उपलब्ध पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुलग्नक में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई है:

वर्ष	पुरुष बेरोजगारी दर (यूआर) (में %)	महिला बेरोजगारी दर (यूआर) (में %)
ग्रामीण		
2017-18	5.7	3.8
2018-19	5.5	3.5
2019-20	4.5	2.6
2020-21	3.8	2.1
शहरी		
2017-18	6.9	10.8
2018-19	7.0	9.8
2019-20	6.4	8.9
2020-21	6.1	8.6
अखिल भारत		
2017-18	6.1	5.6
2018-19	6.0	5.1
2019-20	5.0	4.2
2020-21	4.5	3.5

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

(घ): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उचित कल्याणकारी योजनाएं बनाकर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे और उनका कल्याण करे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण इस प्रकार है: **(i)** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और विकलांगता कवर प्रदान किया जाता है। दिनांक 31.05.2022 तक, पीएमजेजेबीवाई के तहत कुल 12.89 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के तहत 27 स्पेशल्टीज़ में 1949 उपचार प्रक्रियाओं के लिए माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के संबंध में अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। दिनांक 12.07.2022 तक, कुल 18.47 करोड़ व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और उन्हें आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए।

वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की थी। योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। दिनांक 11.07.2022 तक, कुल 48.19 लाख से अधिक कामगारों को पीएमएसवाईएम योजना के तहत नामांकित किया गया है।

उपरोक्त के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधी, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य स्कीमें भी असंगठित कामगारों के लिए उनकी पात्रता मानदंड के आधार पर उपलब्ध हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 28.07.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1372 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)			
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आंध्र प्रदेश	57.2	54.8	55.5	58.6
अरुणाचल प्रदेश	42.3	40.9	44.3	48.5
असम	43.7	43.4	43.2	50.5
बिहार	35.5	36.4	39.7	39.9
छत्तीसगढ	62.4	61.2	65.4	63.6
दिल्ली	42.7	44.5	43.3	42.7
गोवा	42.9	45.9	47.3	43.4
गुजरात	47.4	49.7	54.7	55.0
हरियाणा	41.7	41.9	42.9	44.0
हिमाचल प्रदेश	58.9	63.9	70.5	69.5
जम्मू और कश्मीर	51.0	52.9	52.5	55.5
झारखंड	41.7	44.9	53.6	59.6
कर्नाटक	49.1	49.3	53.1	55.3
केरल	41.2	44.9	45.3	46.1
मध्य प्रदेश	54.3	52.3	57.7	60.2
महाराष्ट्र	50.5	50.6	55.7	53.9
मणिपुर	42.5	44.3	45.5	41.0
मेघालय	62.3	61.8	58.6	62.0
मिजोरम	46.4	45.6	50.7	54.5
नागालैंड	32.8	38.1	44.8	49.5
ओड़िशा	44.9	47.6	51.9	53.5
पंजाब	42.9	44.2	47.8	47.2
राजस्थान	48.2	50.0	55.0	55.3
सिक्किम	58.7	61.1	68.8	71.3
तमिलनाडु	51.0	51.4	55.3	56.9
तेलंगाना	49.8	50.6	55.7	57.8
त्रिपुरा	42.0	41.9	49.6	53.8
उत्तराखंड	40.6	41.4	49.5	48.7
उत्तर प्रदेश	41.8	40.8	45.1	48.0
पश्चिम बंगाल	47.8	49.7	49.7	53.0
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	48.7	49.1	49.8	58.2
चंडीगढ़	46.9	47.3	45.5	43.1
दादरा और नगर हवेली	66.3	68.6	72.2	54.0
दमन और दीव समूह	63.2	55.1	64.5	
लक्षद्वीप	34.4	29.5	48.0	40.1
पुडुचेरी	37.8	47.8	47.7	48.1
लद्दाख	-	-	62.7	69.1
अखिल भारत	46.8	47.3	50.9	52.6

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई